ब अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0मि0 केश नं0-...07.../2021-22 (1)

राजेन्द्र प्रसाद महतो बनाम पवन कुमार महतो वगै0

8.21

आवेदक राजेन्द्र प्रसाद महतो, पे0-स्व0 दिलमोहन महतो सा0- सा0-सिंघाईचक, पोखरिया नं0-83, अंचल-~~मेहरमा~~, ठाकुरगंगटी थाना-मेहरमा, जिला- गोड्डा का आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा- सिंघाईचक पोखरिया नं0-83, मे जमाबंदी नं0-4 हिस्सा 05-05-00 धूर एवं मौजा-बाबुतालुक नं0-84, जमाबंदी नं0-4, कुल रकवा- 01-11-03 धूर जमीन विपक्षी (1)पवन कुमार महतो, पे0-स्व0 जन्मजय महतो,सा0-सिंघाईचक, पोखरिया नं0-83, अंचल-मेहरमा, थाना- मेहरमा, जिला-गोड्डा। (2) 16 आना रैयत, मौजा- सिंघाईचक, पोखरिया नं0-83, जिला-गोड्डा से जमीन बटवारा करने को लेकर है।

अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में रे0मि0 केश कि प्रक्रिया प्रारंभ किया जाता है। तदनुसार उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिस निर्गत करे। तथा अंचल अधिकारी, ~~मेहरमा~~ ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक ...14.9.21... को रखें।

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

14.9.21

आवेदक को हाजरी पड़ी है। विपक्षी अनुप। दि० 20.10.21 को रखें।

अनुमंडल

20.10.21
23.11.21
23.12.21
28.1.22
पत्रोंकुल - 4.2.22
दिवस - 21.2.22
दिवस - 4.2.22
दिवस - 21.2.22
22.2.22
25.3.22
26.4.22
28.6.22
8.
12.8.22
7.10.22
14.10.22

(3)

ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0मि0 केस सं0– 07/21–22

राजेन्द्र प्र0 महतो बनाम् पवन कु0 महतो वगै0

–: आदेश :–

4.10.2022

वर्त्तमान वाद की कार्रवाई आवेदक राजेन्द्र प्रसाद यादव, पे0–स्व0 दिलमोहन महतो, सा0–सिंघाईचक, थाना–मेहरमा, अंचल–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सिंचाईचक पोखरिया नं0–83, जमाबंदी नं0–04, रकवा–05–05–00 धूर एवं मौजा–बाबुतालुक नं0–84, जमाबंदी नं0–04, कुल रकवा–01–11–03 धूर पर विपक्षीगण पवन कु0 महतो, पे0–स्व0 जन्मजय महतो, सा0–सिंघाईचक पोखरिया एवं 16 आना रैयत, मौजा–सिंघाईचक से जमीन बंटवारा हेतु प्रारंभ किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया तथा अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के पत्रांक–424/रा0, दिनांक–30.09.2022 द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक ही जमबंदी रैयत के वंशज है। उक्त मामला आपसी बंटवारा से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से अपेक्षित है।

अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Sd/- 14.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Sd/- 14.10.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Singh
Adv.
05/01/23

Seen
S. Ahmad Ali
Adv.
30.01.2023

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.28 15:41:51 +05:30
Location: 192.168.8.116